प्ररूप संख्या 3 व 10
नियम 26 साधारण नियम (दांडिक) एवं नियम 140 साधारण नियम (दीवानी)
आदेश सूची (आर्डर शीट)

न्यायालय – वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, संख्या– 03, बाडी, जिला धौलपुर

रामाबाई बनाम युसुफ

सीआईएस नंबर – 18/2023

सीओएस नंबर – 05/2023

दिनांक – 26.09.2025

वादी मुरलीधर स्वयं उपस्थित। अन्य वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 03 व 04 की एकपक्षीय कार्यवाही अमल में है। इस आदेश के द्वारा प्रतिवादी 01 व 02 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 10 दिनांकित 17.09.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। बहस उभयपक्ष सुनी जा चुकी है।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्य को दौहराया और तर्क दिया कि हस्तगत प्रकरण में वादी के द्वारा प्रकरण संख्या 113/05 रामाबाई बनाम शिवचरण लाल न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश धौलपुर के जवाबदावा शिवचरण लाल, आदेश प्रार्थना पत्र 18.07.1995, बयान शिवचरण लाल उनवार शिवचरण लाल बनाम मुन्ना खां नंबरी 217/92 न्यायालय सिविल न्यायाधीश, बाडी का दावा व शिवचरण लाल के बयान पेश किये हैं। उक्त दस्तावेजात की मूल पत्रावलियां तलब कराया जाना आवश्यक है। उक्त मूल दस्तावेज पर ही प्रदर्श डाला जाना संभव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त वर्णित समस्त दस्तावेजात की मूल पत्रावलियों को रिकॉर्ड रूम से तलब कराये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश न कर, दौराने बहस प्रतिवादीगण की ओर से दिये गये तर्कों का विरोध किया और तर्क दिया कि वादीगण की ओर से उक्त समस्त दस्तावेजात की न्यायालय से प्राप्त प्रमाणित प्रतियां पत्रावली पर पेश की है। उक्त दस्तावेजात न्यायालय के द्वारा रिकॉर्ड पर भी लिये जा चुके है। उक्त असल दस्तावेजात वादीगण के कब्जे में नहीं है और उनकी पत्रावलियां रिकॉर्ड रूम में है। उक्त प्रमाणित प्रतियां फर्जी व कूटरचित नहीं है, ऐसे में उक्त प्रमाणित प्रतियों पर भी प्रदर्श डाला जा सकता है। प्रार्थना पत्र प्रकरण में विलंब कारित करने के उद्देश्य से कारित किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र उपरोक्त आधारों पर अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
संख्या–03, बाडी, जिला–धौलपुर (राज.)

सुना गया। उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र से पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रकरण संख्या 113/05 रामाबाई बनाम शिवचरण लाल न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीशं धौलपुर के जवाबदावा शिवचरण लाल, आदेश प्रार्थना पत्र 18.07.1995, बयान शिवचरण लाल उनवार शिवचरण लाल बनाम मुन्ना खां नंबरी 217/92 न्यायालय सिविल न्यायाधीश, बाडी का दावा व शिवचरण लाल के बयान की मूल पत्रावलियों को तलब कराये जाने का अनुतोष चाहा है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी के द्वारा पूर्व में आदेश 07 नियम 14 सीपीसी का एक प्रार्थना पेश किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.2025 को आदेश पारित करते हुए उक्त सभी दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया गया था। उक्त दस्तवेजात पत्रावली में संलग्न है। उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त सभी दस्तावेज न्यायालय से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपियां है। उक्त दस्तावेजों के कूटरचित व फर्जी होने की कोई संभावना प्रकट नहीं होती है। इसके अतिरिक्त वादीगण की ओर ये यह जाहिर किया गया है कि उक्त दस्तावेजात की असल उनके पास उपलब्ध नहीं है और पत्रावलियां रिकॉर्ड रूम में जमा है। स्वयं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार भी उक्त दस्तावेजात का रिकॉर्ड रूप में पत्रावलियां का जमा होना जाहिर है। ऐसे में उक्त दस्तावेजात के असल तलब कराये जाने का औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचनानुसार अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण वर्ष 2019 से लंबित होकर इस न्यायालय के सबसे पुराने प्रकरणों की सूची संख्या 50 पर है, जिसमें शीघ्र निस्तारण के आदेश है। अतः आगामी पेशी पर वादी आवश्यक रूप से उपस्थित आये तथा प्रतिवादीगण उससे जिरह करें। साथ ही प्रतिवादीगण स्वयं भी उपस्थित रहे और वह भी अपनी साक्ष्य हेतु तैयार रहे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य/जिरह वादी व जिरह प्रतिवादी दिनांक 08.10.2025 को पेश हो।

Ayush Goyal 26/9/25

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
संख्या-03, बाड़ी जिला-धौलपुर (राज.)